03DD 205945

उ०प्र० स्टाम्प अधिनियम सन् १८९९ धारा २(१०) व सूची १-बी के आर्टिकल-२३ के अनुसार स्टाम्प दिया

- विक्रयपत्र मालियती - ६,००,०००) रुपया
- एक किता आराजी संक्रमणीय भूमिधरी श्रेणी १क(क) वाके मौजा [illegible] तहसील व जिला आगरा रकबा ०-४[illegible] हेक्टेयर जिसका खसरा नम्बरान ३६०-४०१ [illegible] -३९९ किता चौहद्दी जिसको साथ लगे नक्शे में रंग लाल में दिखाई गई है लगान जिसका रुपये
- जिलाधिकारी आगरा द्वारा स्टाम्प के लिये घोषित सर्किल रेट [illegible] लाख रुपया प्रति हेक्टेयर के अनुसार इस विक्रयपत्र पर [illegible] १,७०,६००) रुपया का स्टाम्प अदा किया गया है।

-0-0-0-0-

सचिव
[illegible] सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

1709000 — 1582

(कै० डी० ...)
मुख्य रीकॉर्डिया
कोषागार, आगरा

उप निबन्धक (प्रथम)
आगरा
13/11/03

13/11/03

13/11/03

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

01DD 205946

द्वारा तक्षशिला कन्सट्रक्शन्स (भागीदारी फर्म) कार्यालय स्थित तक्षशिला पार्क दयालबाग रोड आगरा द्वारा भागीदारगण व अधिकृत हस्ताक्षरी व प्रतिनिधि श्री अखिलेश्वर गौड़ पुत्र स्व० श्री शान्तिप्रकाश गौड़ व श्री गुरुप्यारा पुत्र श्री दयालप्रकाश निवासी तक्षशिला पार्क न्यू आगरा दयालबाग रोड आगरा — विक्रेतागण प्रथमपक्ष

(व)

पावन सहकारी आवास समिति लि० आगरा पंजीयन संख्या १९३२ द्वारा वर्तमान सचिव व अधिकृत प्रतिनिधि व हस्ताक्षरी श्री जयदीप कुमार तिवारी पुत्र श्री [illegible]लाल निवासी २३ विनायक विहार पोइया कलौठा तहसील व जिला आगरा - क्रेता द्वितीय पक्ष।

विदित हो कि प्रथमपक्ष ने द्वारा विक्रयपत्र व विस्तार श्री निरंजन सिंह पांडुआ तक्षशिला कन्सट्रक्शन्स द्वारा भागीदारगण श्री अखिलेश्वर गौड़ व श्री गुरुप्यारा लेख दिनांक १८-९-२००१ व मुन्दर्जा रजिस्ट्री व दफ्तर उप निबंधक आगरा के आराजी रकबा दो बीघा दो बिस्वा निम्नलिखित खसरा नम्बरान मजकूर के सहित का कब्जा व दखल हासिल किया और मालिक काबिज व संक्रमणीय

जयदीप कुमार तिवारी
सचिव
पावन सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

0:0D 205947

-२-

मुन्दिर्जा बर बिक्री से अलावा बाहर किता बैनामा के कुल रकबा आराजी 0-05305 हेक्टेयर लगान जिसका रकमी को प्रथमपक्ष ने अन्य व्यक्तियों के हक में बैय कतई कर दिया और शेष रकबा 0-40608 हेक्टेयर लगान जिसका बाकी प्रथमपक्ष के पास शेष बची है जिसके वह दाखिल खारिज काबिज है जिसमें अन्य कोई हकदार या दखीलकार आदि किसी प्रकार का नहीं है किता बैनामे फलदार वगैरा का हर्जे व नीज प्रथमपक्ष की उक्त आराजी आज तक हर तौर से बरी व बेबाक व बार व कुर्की व हिबा व रहन वगैरा से पाक व साफ है और उसका कोई भाग नजूल या राजकीय आस्थान या ग्राम सभा का नहीं है और न किसी भी सीलिंग बाद में अतिरिक्त रिक्त भूमि घोषित हुआ है और न अध्याप्ति हुआ है और न बाद मुआवजा प्रथमपक्ष या अन्य ने प्राप्त किया है और उक्त मूल बैनामा प्रथमपक्ष के पास मौजूद है किसी कहीं रेहन या बयाना आदि में नहीं दिया गया है ।

जयदीप कुमार त्रिपाठी

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

03DD 205948

-4-

विदित हो कि प्रथमपक्ष को अपनी कुल शेष आराजी से कोई विशेष लाभ नहीं है और वह अपनी जरूरत पर अपनी उक्त आराजी को बाजार में अधिक से अधिक कीमत पर बेचना चाहते हैं और वर्तमान में द्वितीयपक्ष अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एवं सदस्यों के लाभार्थ सबसे अधिक कीमत अदा कर रहे हैं जिससे प्रथमपक्ष का पूरा-पूरा लाभ है अतः प्रथमपक्ष उक्त आराजी को द्वितीयपक्ष के हक मे बेचने को तैयार है।

जगदीश कुमार तिवारी

बारान नं० ... जिला

लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

03DD 205949

अत: प्रथमपक्ष ने स्वेच्छा तथा प्रसन्नता पूर्वक स्वस्थचित्त एवं बुद्धि स्थिर के बिना बहकाये सिखाये दबाव नाजायज के [illegible] का उक्त मूल आराजी सम्पूर्ण [illegible] का समस्त स्वत्व व अधिकार व हितक लाभव नामाकन के अधिकारों सहित बिना रोके किसी अधिकार आदि के बाजारी कीमत में [illegible] व रुपया 6,00,000) छ: लाख रुपया कि आये जिसमें [illegible] लाख रुपया [illegible] के बदले पावन सहकारी आवास समिति लि० [illegible] उक्त क्रेता द्वितीयपक्ष के शुद्ध [illegible] से बेच करदी और बेच दी।

जयदीप कुमार तिवारी
सचिव
पावन सहकारी आवास समिति लि०
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

03DD 205950

प्रथमपक्ष ने कीमत का कुल रुपया नकद रजिस्ट्री बाद तहरीर व तस्दीक रजिस्ट्रार साहब के द्वितीयपक्ष से मुकम्मल वसूल पाकर मुजरा लिये अब प्रथमपक्ष का कुछ पाना बाकी नहीं है और प्रथमपक्ष ने बेची गई आराजी भूमिधरी पर से अपना कब्जा व दखल हटाकर द्वितीयपक्ष का करा दिया और द्वितीयपक्ष को आराजी मुबैया का मालिक मुस्तकिल व काबिज बना दिया तथा मुह दाखिल दे दिया अब द्वितीयपक्ष को पूरा अधिकार है कि वह आराजी मुबैया से बहैसियत मालिक काबिज के चाहे जैसे लाभ उठावें क्रय-विक्रय आदि करें और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करें और चाहे जिस तौर इस्तेमाल में लावें और अपना नामांकन सम्बन्धित विभागों में करा लें प्रथमपक्ष अपना सहयोग प्रदान करेंगे। आज तक के बकाया लगान प्रथमपक्ष अदा करेंगे और आज के बाद के द्वितीयपक्ष अदा करेंगे।

(जगदीश कुमार तिवारी)

मानव [illegible] लि०

क्रेता

INDIA NON JUDICIAL
५००० रु.   Rs 5000
सत्यमेव जयते
भारत
पाँच हजार रुपये   FIVE THOUSAND RUPEES

यदि भविष्य में कभी कोई दावेदार किसी भी किस्म का बेची गई आराजी मुन्दर्जा के सम्बन्ध में पैदा होकर कोई दावा व मांग द्वितीय पक्ष पर करे और उसके कारण या प्रथम पक्ष के विरुद्ध दाखिल हो जावे या दखल या बेचा गया पूर्ण या आंशिक रूप से आराजी मुबैया का द्वितीय पक्ष से निकल जावे तो उन कुल की जवाबदेही व जिम्मेदारी व हर्जा खर्चा मय व्याज का मय सूद व हर्जा व खर्चा के व जिसमें वाद व्यय व आवेदन हर द्वितीय पक्ष पार्टी व उसके भागीदारान व उसके वारिसान की है और जायदाद होगी और प्रथम पक्ष पार्टी व उसके भागीदारान व उसके वारिसान को कभी कुछ उजर न होगा।

जगदीश कुमार तिवारी
सचिव
[illegible]

-८-

इस बैनामा का कुल मूल्य द्वितीयपक्ष के जिम्मे है । यहाँ यह साफ करना जरूरी है कि प्रथमपक्ष ने उक्त रजिस्टर्ड मुख्तारनामा के जरिये सुधीर गुप्ता को उक्त आराजी के सम्बन्ध में मुख्तारआमनियुक्त किया था लेकिन प्रथमपक्ष की जानकारी में उक्त सुधीर गुप्ता ने उक्त आराजी के सम्बन्ध में कोई कार्य-व्यवहार-अंतरण आदि नहीं किये हैं और उक्त मुख्तारनामा भी खारिज किया जा चुका है और इन तथ्यों की जानकारी द्वितीयपक्ष को भी है । यदि सुधीर गुप्ता की ओर से उक्त आराजी के सम्बन्ध में कोई कार्य-व्यवहार-सम्बन्ध आदि पाये जायेंगे तो उनसे प्रथमपक्ष विक्रेता का कोई सम्बन्ध न है और न होगा ।

अश्वनी कुमार तिवारी

5000RS

INDIA NON JUDICIAL

५000रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पांच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

-६-

अतः पत्रकोशपाल एवं विद्युत पत्रकारों के लिए दिया जिम्मेदारी और समय पर काम आवे । नोट-पत्र ८ की सार २ पे (प्रथमपक्ष) गन्दा है

आशीष कुमार तिवारी

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५००० रु. | Rs 5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

भी हमको मंजूर है । लेख दिनांक- १२-११-२००७ ई०

पावन सहकारी आवास समिति लि०

सचिव

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

-११-

मसौदा - पं० रघुवरप्रसाद कौशल निवासी बुर्जिरवाजा आगरा।

टाइपकर्ता पं० पूरनचन्द शर्मा तहसील परिसर आगरा। [illegible]

[illegible]

जयदीप कुमार तिवारी

सहायक [illegible]

साक्षी श्री [illegible]

पुत्र [illegible]

निवासी [illegible], आगरा।

गोविन्द सिंह
स्टाम्प विक्रेता ला० नं० २१
तहसील सदर आगरा

आज दिनांक 13.11.03 को बही
सं० 1 जिल्द सं० 7872
पृष्ठ 127/160 4805
पर रजिस्ट्रीकृत की गई।

उप निबन्धक (प्रथम)
आगरा

SAJRA PLAN OF KHASRA NO 390, 401/402, 403, 4-4,

442, 326 & 389, 398, 401/2, 404/2, 405, 386, 395

AT MAUZA MAU AGRA

OWNER TAMANNA CONSTRUCTIONS

SOLD TO - PAWAN SANKARI AVAS SAMITI LTD

AREA :- 0.40699 HACT.

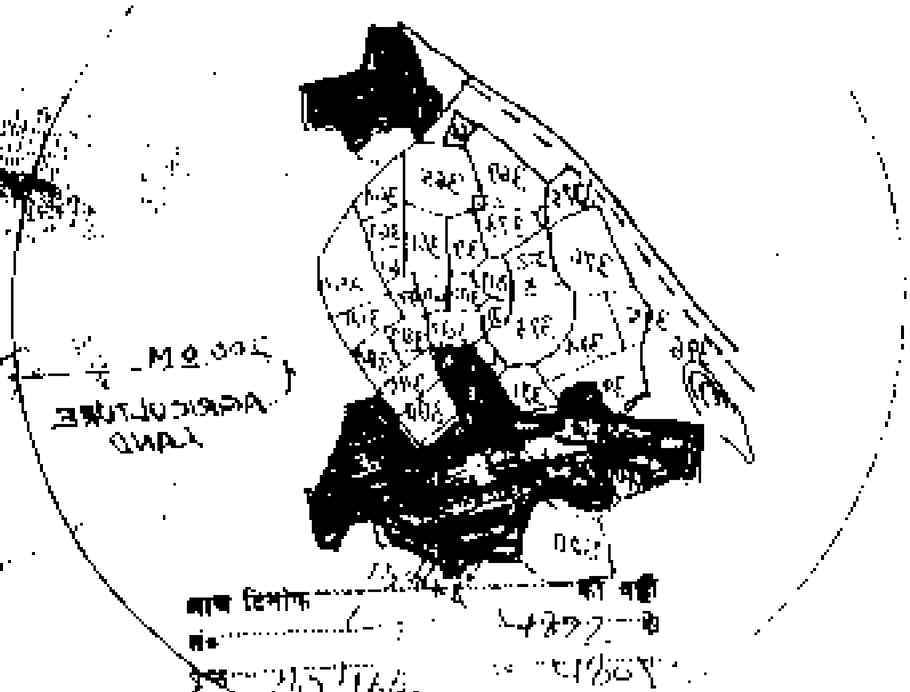

SAJRA PLAN OF KHASRA NO 390, 401/1, 402 403, 404/1

442, 326 & 389, 398, 401/2, 404/2, 405, 386, 399

AT MAUZA MAU AGRA

OWNER:- TAMANNA CONSTRUCTIONS

SOLD TO:- PAWAN SAHKARI AVAS SAMITI LTD.

AREA :- 0.4069 HACT.